[Shri B. Shankaranand]

demanded on it. That much I could say.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Health is a Concurrent subject.

(Interruptions)

SHRI B. SHANKARANAND: Regarding the eye camps, I have already said that the cases that are under discussion in Parliament are not with reference to any real eye camp. The fact about the culprits who have tried to make easy money over the ignorance of the people by publishing leaflets and advertisements does not go to show that they were eye camps because eye camps has a different conception. Eye camps require the community participation, eye camps require the participation of the health officials, eye camps require following the guidelines as given by the Central Government. In these cases none of these things were observed. So, they were not eye camps and let us not, in the course of our discussion, malign the good functioning of the real eye camps which are doing yeoman service to the country.

The hon. Member wanted to know the particular sections or the provisions under which the culprits are to be punished. I can only say that penal provisions of the IPC and the Medical Council of India Act attract the attention of the police and their taking steps in the matter.

SHRI G. M. BANATWALLA: They deserve stringent punishment.

SHRI B. SHANKARANAND: They do deserve, as I said, stringent punishment.

I do agree with the hon. Member that mere operation is not enough, post-operative care is also essential in order to avoid such instances and in this case I do agree with the hon. Member.

The hon. Member posed another question about the Bombay hospital charging fees recently. I am not aware of the fact and without knowing anything I cannot express any opinion.

SHRI G. M. BANATWALLA: Please look into this.

SHRI B. SHANKARANAND: I will look into this.

Regarding compensation, I have said that it is a matter for action and the suggestion is there for action.

SHRI G. M. BANATWALLA: Sir, are you satisfied with the answer?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you are satisfied, I am satisfied.

13.59 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of State in Ministry of Home Affairs and Department of Parliamentary Affairs (Shri P. Venkatasubhaiah): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 26th April, 1982, will consist of:

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Consideration and passing of:

(a) The Indian Railways (Amendment) Bill, 1982, as passed by Rajya Sabha.

(b) The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 1981.

(c) The Pharmacy (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

(d) The Pensions (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

(3) Further consideration and passing of the Architects (Amendment) Bill, 1980, as-passed by Rajya Sabha.

(4) Consideration and passing of:

(a) The Major Port Trusts (Amendment) Bill, 1982, as passed by Rajya Sabha.

(b) The Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 1981.

(5) Consideration of a Resolution regarding raising of the limit of the Assam State Electricity Board.

I may also inform the House that the Constitution (Forty-Sixth Amendment) Bill, 1981, will not be taken up for consideration on Wednesday, the 28th April, 1982.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न दो मदें शामिल करते हुए बोलना चाहता हूं :

1. देश के विभिन्न भागों में हरिजन, आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों पर बराबर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की जानकारी के बिना ये कैसे किया जा सकता है ? हरिजनों आदि को झूठे मुकदमों में फांस कर दमन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के थाना हस्तिनापुर में वहां के ठाकरों ने हरिजनों पर गोली चलाई। हजारों हरिजन परिवार भयभीत हैं। जुडीशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हरिजनों को संरक्षण दिया जाए और दोषियों को दण्डित किया जाए। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्यों के मंत्री इस बारे में अगले सप्ताह की कार्यवाही में बयान दें।

**That portion must not be deleted.

14.00 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER: Is it an order from the Chair?

SHRI JAIPAL SINGH KASHYAP: Now there is no difference between the Chair and the... (*Interruptions*).

SHRI RAJESH PILOT: There is no difference between the Chair and him?

SHRI JAIPAL SINGH KASHYAP: No difference and on distance.

2. उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल खलिहान में आ चुकी है। परन्तु गेहूं निकालने के लिए थ्रेशर बिजली के अभाव में नहीं चल पा रहे हैं। यह जरूरी है कि मौसम की खराबी को देखते हुए किसानों को देहाती क्षेत्र में डेढ़ माह तक 20 घंटा प्रति दिन बिजली दी जाए ताकि गेहूं शीघ्र निकाला जा सके। इस के अलावा गेहूं का समर्थन मूल्य 180 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए और खरीद केन्द्रों को निर्देश दिया जाए कि किसानों का केन्द्र पर आया कुल गेहूं खरीद की व्यवस्था की जाए। यह मामला सदन में अगले सप्ताह विचाराधीन होना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Only the approved version of the statement of Shri Kashyap will go on record. Prof. Ajit Kumar Mehta.

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

(*Interruptions*)**

This is very serious matter.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY SPEAKER: You have already said that. This is not a decision to be taken over here.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY SPEAKER: It is all right. Prof. Ajit Kumar Mehta.

**Not recorded.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : नहीं, सर, यह तो आप को लेना पड़ेगा, वरना इस के विरोध में मैं वाक आउट करता हूं। यह हरिजनों का मामला है और बहुत गंभीर मामला है।

14.03 hrs.

(Shri Jaipal Singh Kashyap then left the House)

MR. DEPUTY SPEAKER: Prof. Ajit Kumar Mehta.

SHRI INDRAJIT GUPTA: The submissions about the next week's business, they are all in the form of written submissions which have to be submitted before for approval and it is assumed that when he is allowed to make that statement it has been approved by the Secretariat.

MR. DEPUTY SPEAKER: No.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Therefore, after he has read it out you cannot...

MR. DEPUTY SPEAKER: Not that version.

SHRI INDRAJIT GUPTA: *(Interruptions)* approve or disapprove.

MR. DEPUTY SPEAKER: It was not approved.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Was it not approved?

MR. DEPUTY SPEAKER: It was not approved. That is what I said. Other things were approved.

It was not approved by the Speaker. Other things that he mentioned will go on record.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Pre-censorship post-censorship. That is too much.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I also raised it. Actually the Speaker has some arbitrary powers. But if you do not approve certain things you say 'not approved'. Are you not to show the reasons why you have not approved it?

MR. DEPUTY SPEAKER: No. I make it very clear—the Speaker need not give reasons for rejecting anything. I need not give. You can meet the Speaker.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Arbitrary powers everywhere are dangerous.

MR. DEPUTY SPEAKER: That power has been given to us by the House. The rules were framed by you Prof. Chakraborty. That power has been given to us by the House. We are after all the servants of the House.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Of late you have developed a peculiar habit—'ruled out', 'nothing will go on record,' 'not approved'. It means indirect censorship.

14.04 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MR. SPEAKER: No, Professor...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is a part of your Industrial Disputes Act. They are bonded labourers. But we are free people. You cannot discipline them. But we must be allowed to say what we want to say. Now we are speaking about the police. That is important because of the....

MR. SPEAKER: Look Professor, we have laid down certain norms in our own meeting. I go according to that. What is incriminatory and defamatory, without being proved, does not go on

record. That is what we do. Therefore, there is no question of any censorship.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: He said something about police.

MR. SPEAKER: We have approved at the meeting of all Groups and their leaders in the Chamber as to what sort of thing should be there. This is a sort of device to give more time and more liberally to hon. Members. We are doing accordingly. If there is anything, you can come to me. I will agree. You are always welcome to give any suggestion which is well and good for all. We will do it.

(*Interruptions*.)

MR. SPEAKER: Don't worry. There is nothing in it.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, you have a coaching class for him.

MR. SPEAKER: When he just comes to me, I will coach him.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I am a student, Sir. Even now, I am prepared to learn from Sontosh.

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित दो सुझाव प्रस्तुत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री से उन्हें कार्यसूची में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं ।

1. कुछ दिनों पहले संसद को सरकार ने विश्वास दिलाया था कि "विधि आयोग" की संस्तुतियों के आधार पर टेलिफोन को टेप करने तथा डाक खोलने की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, संबंधित कानूनों को संशोधित करने की बात सरकार के विचाराधीन है । किन्तु संसद में हाल ही में संचार मंत्री द्वारा दिए गए प्रश्नोत्तर से ऐसा नहीं लगता है । एक प्रश्न के उत्तर में संचार मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार को इंडियन टेलिग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5 (2) के अनुसार ये अधिकार प्राप्त हैं तथा एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि उपरोक्त कानून को संशोधित करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है । महाशय, इंडियन टेलिग्राफ एक्ट की धारा 5(2) और इंडियन पोस्ट आफिस एक्ट की धारा 26(2) के विषय में विधि आयोग ने 1968 में अपने 38वें प्रतिवेदन में विलोपित करने की राय देते हुए लिखा था :

"The power of interference with the freedom of expression when challenged have to be examined on a consideration of the question whether, in point of fact, the interference is attributable to a permissible source under Article 19(2) of the Constitution."

अतः अगले सप्ताह इसे संशोधित करने के लिए विधेयक लाया जाना चाहिए ।

2. महाशय, संसद का यह सत्र समाप्त होने को है । सरकार ने तथा आपने भी सदन को विश्वास दिलाया था कि "बी. पी. मण्डल आयोग" का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख देना ही पर्याप्त नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आश्वासन तो सरकार ने दिया था । मैंने यह आश्वासन दिया था कि अगर सरकार नहीं रखेगी तो इस पर डिस्कशन करवाउंगा ।

There are two different aspects of this. Right!

प्रो. अजित कुमार मेहता : देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग इस प्रतिवेदन से जुड़ा है । अतः इस प्रतिवेदन पर विस्तृत बहस भी आवश्यक है । इसलिए संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इसे भी अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित करें ।

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur): Mr. Speaker, Sir, this is a request through you to

[Shri Ajit Kumar Saha]

include the following items in the coming week's list of business:

In the Tribal Sub Plan area development in West Bengal, particularly in Bankura district, the nationalised banks are not showing any interest to give loan to the scheduled caste and scheduled tribe persons. The West Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development Finance Corporation is sending cases to the nationalised banks to give loan to the scheduled caste and scheduled tribe persons. But the banks are reluctant to give loan. If it is continued, then the Tribal Sub Plan will remain in paper. So, the Government issue immediate instructions to the banks to give loans to the scheduled caste and scheduled tribe persons according to the list submitted by the West Bengal Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development Finance Corporation. I would like the hon. Minister to make a statement in this regard.

Over lakhs of workers are engaged in manufacturing bidi. These workers are belonging to the weaker sections of the society. In this industry, the workers are exploited by the employer. There is only one Central Act, the Bidi Workers Welfare Act. Even these welfare measures are not properly executed.

So, I urge upon the Government to bring forward a comprehensive Bill in this session for these workers who are engaged in bidi industry.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तुत कार्य सूची में निम्न विषयों का समावेश किए जाने की प्रार्थना करता हूं ।

1. जनजाति क्षेत्रों की घोषणा के लिए जीरी प्रेजीडेंशियल आर्डर में संशोधन आवश्यक है । इस समय जिन क्षेत्रों में 51 प्रतिशत जनजातियों के लोग रहते हैं उन्हीं क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां कम हैं, वहां की जनजातियों को जनजाति क्षेत्रों को प्राप्त होने वाला विकास सम्बन्धी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साथ ही जनजाति क्षेत्रों में रहने वाली अन्य जातियों के लोगों को जो लाभ प्राप्त है उस से वे वंचित रह जाते हैं जिससे ऐसे क्षेत्रों में असंतोष व्याप्त है। अतः प्रेजीडेंशियल आर्डर में संशोधन कर जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए 51 प्रतिशत जनजातियों को उस क्षेत्र में रहना आवश्यक न होकर 20 प्रतिशत जनजातियां भी जिस क्षेत्र में हैं उन्हें जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता पर गृह मंत्रालय को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः इस विषय पर सदन में चर्चा आवश्यक है।

2. शेड्यूल्ड कास्ट्स एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन द्वारा कई जनजातियों को जनजातियों की सूचियों में शामिल करने की संस्तुति नहीं की गई जिसके कारण उत्तर प्रदेश की कई जनजातियां घोषित नहीं हो पाई हैं जैसे पिथोरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में कुथलिया वौरा जाति। अतः सदन में इस विषय पर चर्चा आवश्यक है।

उपरोक्त विषयों का समावेश अगले सप्ताह की कार्यसूची में किए जाने हेतु मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष - महोदय आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. मध्य प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण हेतु प्रदेश की राजधानी भोपाल तथा प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर इन्दौर की घोषणा की जा चुकी है किन्तु इसके लिये उपयुक्त प्रसारण क्षमता का 'एन्टीना' तथा उपकरण स्थापित किए जाने हैं जिस से इस प्रसारण प्रणाली का लाभ प्रदेश की अधिसंख्य लोगों को प्राप्त हो सके। अतएव यह आवश्यक है कि उपकरण स्थापना के पूर्व अधिकाधिक लोगों को लाभ मिल सके यह सुनिश्चित किया जाए।

अतएव मेरा आग्रह है कि दूरदर्शन प्रणाली का लाभ उज्जैन, भोपाल तथा इन्दौर संभाग के सभी जिलों को प्राप्त हो सके इस हेतु उपयुक्त क्षमता के प्रसारण की स्वीकृति दी जावे तथा इस हेतु आवश्यक उपकरण घोषित समय में स्थापित किया जावे।

यह विषय आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाये।

2. देश के अनेक गांव पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में नगर तथा गांवों में पेयजल की भीषण समस्या है। ग्रीष्म काल में यह समस्या और अधिक विकट और कष्टप्रद हो जाती हैं। कई कई मीलों तक पानी का अभाव जनजीवन को त्रस्त किए हुए है और पीने काबिल पानी का मिलना असंभव सा हो गया है। दूषित जल के पीने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाने का भय व्याप्त है जिसके कारण जनसामान्य के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में जहां जहां पेयजल समस्या है तथा मध्य प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तत्काल आवश्यक प्रबन्ध करे तथा इस विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): : मैं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा अगले सप्ताह संसद में आने वाली कार्य सूची में निम्न दो विषय सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं।

1. राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिलकुल ठप्प हो गई है जिसके कारण गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन, गेहूं, शक्कर इत्यादि मिलना मुश्किल हो गया है। अधिकांश जगहों पर सस्ते गल्ले की दुकानें सहकारिता भंडार की जगह निहित स्वार्थी ततवों के हाथ में आ जाने से वे राशन में मिलने वाली वस्तुएं सीधे बाजार में जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों को बेच देते हैं एवं व्यापारी फिर खुले बाजार में मनमाने भाव लेकर मुनाफा कमाने में संलग्न हैं। इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड-धारी भी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को खुले बाजार में बेच कर कालाबाजारी से मुनाफा कमाने में संलग्न हैं। इस दोष-पूर्ण व्यवस्था का सबसे अधिक असर जोधपुर संभाग में पड़ा है जहां करीब एक वर्ष से आम उपभोक्ता भयंकर रूप से परेशान हैं। राशन का गेहूं लम्बे अर्से से प्रति व्यक्ति एक किलो मात्र मिलने व शक्कर 3-4 महीने तक न मिलना आम बात है। लोगों में इस वितरण प्रणाली के प्रति भयंकर आक्रोष है क्योंकि जोधपुर में यह सार्व-जनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से ठप है। अधिकांश जगहों में प्राइवेट लोग भारी मुनाफाखोरी, कालाबाजारी में संलग्न हैं। फर्जी राशन कार्ड हजारों की संख्या में बने हुए हैं।

केन्द्र सरकार ने गत वर्ष 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर जमाखोरी, कालाबाजारी आदि मुनाफाखोरी को गैर जमानती अपराध घोषित किया था और उन अपराधों के लिए सजा की अवधि कम से कम तीन मास कर दी थी एवं इसके अलावा उन मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान किया था परन्तु आश्चर्य व रोष है कि राज्य सरकार इसे लागू करने में असफल रही एवं अज्ञात कारणों से इन पर अमल नहीं कर रही है। इस पर सदन में चर्चा होना अति आवश्यक है।

[श्री अशोक गहलोत]

केन्द्रीय सरकार के विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय ने राजस्थान का पहला भू-उपग्रह केन्द्र एक करोड़ की लागत से जोधपुर में बनाया है जिसके लिए प्रधान मंत्री जी बधाई व धन्यवाद की पात्र हैं। इस से जोधपुर संचार के क्षेत्र में देश के प्रमुख केन्द्रों से शीघ्र ही जुड़ जाएगा। परन्तु जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने व पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर होने की वजह से इसे दूरदर्शन (टेलीविजन) की सेवाएं प्रदान करना अति आवश्यक है। जोधपुर स्थित भू-उपग्रह केन्द्र के माध्यम से जोधपुर को दूरदर्शन सेवाओं से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। इसके साथ ही साथ अभी सिर्फ जयपुर में ही टेलीविजन सेवा होने से पूरे राजस्थान के ग्रामीण लोग भी इस महत्वपूर्ण सेवा से वंचित हैं। इसलिए राजस्थान प्रदेश में डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर जिसमें जोधपुर के अलावा, बीकानेर, उदयपुर व कोटा भी सम्मिलित हैं वहां तक टेलीविजन सेवा का प्रसार होना अति आवश्यक है। इस को भी अगले सप्ताह की संसद की कार्यसूची में अवश्य सम्मिलित कर संसद में चर्चा करना आवश्यक है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उनकी कार्य प्रणाली की समीक्षा लगातार सरकार को करनी चाहिए और शिकायत को दूर करना चाहिए। कुछ गंभीर शिकायतें अभी हाल में की गई हैं। अभी हाल ही में दूरदर्शन के एडीशनल डायरेक्टर जनरल को कार्य मुक्त कर दिया गया है। इस से लोगों के दिमाग में तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं।

अतः सरकार से आग्रह है कि सारे तथ्यों को सदन के समक्ष रखे और सदन को विश्वास में ले।

दूसरे, जैसा कि मेहता जी ने कहा, बी. पी. मंडल आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी जाए, मेरी भी सरकार से मांग है कि सरकार बी. पी. मंडल आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखे।

इन विषयों पर सदन में अगले सप्ताह विचार किया जाए।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाये:—

राजस्थान में भीषण विद्युत कमी के कारण उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं जिसके कारण अनेक लोग बेरोजगार और बेकार हो गये हैं। राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट से उत्पादन प्रायः बंद सा है। इसी प्रकार कोटा थर्मल में आग लगने से उत्पादन में विलम्ब हो गया है।

अतएव केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए दूरगामी कार्यक्रम तैयार कर उस पर अमल किया जावे तथा बिजली की कमी की पूर्ति की तत्कालीन कोई व्यवस्था की जावे जिससे प्रदेश के उद्योगों तथा कृषि को तथा अनेक लोगों को बेरोजगारी से बचाया जा सके।

यह विषय चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

14.15 hrs.

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

SHRI INDRAJIT GUPTA: (Basirhat): Sir, I rise to oppose this Bill at the introductory stage, my main contention being that this Bill is bad in law.

MR. SPEAKER: One minute. We overlooked something. The Hon. Minister likes to say something.

*Published in Gazette of India Extraordinary. Part II, Section 2 dated 23-4-82.